क्र.वसूली/म.प्र./501/संविसं/96
भोपाल, दिनांक 6 मार्च, 1996

प्रति,

कलेक्टर,
जिला –
मध्यप्रदेश,

विषयः- मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत बैंक अतिदेय राशियों की वसूली हेतु ''ब्रिस्क प्रोत्साहन योजना''।

संदर्भः- इस संचालनालय का पत्र क्रमांकःवसूली/म.प्र./107/संविसं/95/624, दिनांक 25 मार्च, 1995

कृपया संदर्भित निर्देशों का अवलोकन हो । राज्य स्तरीय ब्रिस्क प्रबंध समिति द्वारा ब्रिस्क योजना की समीक्षा करने उपरान्त शासन द्वारा योजना का सरलीकरण एवं विकेन्द्रीकरण करने का निश्चय किया गया है । अतः निम्नानुसार पुनरीक्षित निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

2. मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 के मूल उद्धेश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से:

(1) प्रदेश के समस्त तहसील स्तर के राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) को निर्धारित लक्ष्य से अधिक बैंक अतिदेय राशि वसूली करने पर विनिश्चित मान से प्रोत्साहन राशि देने, तथा

(2) जिला, अनुविभाग तथा तहसील स्तर पर वसूली के साधनों में सुधार लाने हेतु राज्य शासन द्वारा 'बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना' स्वीकृत की है, तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (अंग्रेजी में बी.आर.आई.एस.सी. अर्थात ''ब्रिस्क'') का गठन किया है । प्रकोष्ठ का कार्य इस संचालनालय को सौंपा गया है ।

3. प्रोत्साहन योजना तथा प्रकोष्ठ के वित्त पोषण की व्यवस्था व्यवसायिक बैंकों के योगदान से की जा रही है। योजना में शामिल व्यावसायिक बैंकों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है । प्रोत्साहन राशि का भुगतान केवल इन्हीं बैंकों की वसूली संबंधित प्रकरणों पर होगा । ब्रिस्क योजना में संशोधन उपरान्त क्रियान्वयन निम्न लिखित आधार पर किया जायेगा ।

वसूली प्रक्रिया

4. यह योजना दिनांक 1 अप्रेल, 1995 से प्रभावशील है । इस योजना के लागू होने के फलस्वरूप आर.आर.सी. की वसूली राजस्व अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धारित सामान्य प्रक्रिया से पूर्ववृत की जायेगी, अत: वसूली प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है । इसी प्रकार मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम 1987 की धारा-3 के (1) द्वितीय परन्तुक प्रभावित नहीं होगा और अशोधी से वसूल की जाने वाली राशि का 3 प्रतिशत पूर्ववत शासकीय कोष में जमा होगा ।

5. योजना के अंतर्गत संबंधित राजस्व अधिकारी हर माह 20 तारीख तक उसके द्वारा पिछले महीने की गई वसूली की जानकारी मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम, 1988 के अंतर्गत निर्धारित पत्रक (प्रारूप 9) में कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा । इस पत्रक में आर.आर.सी.जारी होने के बाद सभी प्रकार की वसूली की बैंकवार जानकारी शामिल होगी । आर.आर.सी. जारी होने के बाद यदि बकायादार बैंक में राशि जमा कर देता है अथवा यदि बकायादार द्वारा बैंक में धन जमा करने की वजह से आर.आर.सी. निरस्त होती है, तो उस राशि को भी राज्य शासन की सहायता से वसूल की गई राशि मानी जायेगी । चूँकि शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि अंतत: बैंकों से प्राप्त की जा रही है, यह आवश्यक होगा कि-

(1) प्रारूप-9 के कालम (1) में प्रत्येक बैंक की शाखावार जानकारी दी जावे, तथा

(2) राजस्व अधिकारी द्वारा प्रारूप 9 कलेक्टर को भेजने से पूर्व उसमें सम्मिलित वसूली की जानकारी संबंधित बैंक शाखा प्रबंधकों से अभिप्रमाणित करायी जावे ।

बैंकों द्वारा राशि जमा होने की प्रक्रिया

6. प्रारूप 9 में प्राप्त जानकारी के आधार पर कलेक्टर हर महीने के अंत तक संबंधित बैंकों से कुल वसूल की गई राशि का 2,1/2 प्रतिशत जिला ब्रिस्क खाते में जमा करायेगें । यह खाता ''ब्रिस्क खाता : जिला .....'' के नाम से जिला अग्रणी बैंक के मुख्यालय शाखा में खोला जायेगा । वसूल की गयी राशि का इस 2,1/2 प्रतिशत का 1/2 प्रतिशत भाग (पाँचवा भाग) कलेक्टर द्वारा ''राज्य ब्रिस्क खाता, संचालनालय संस्थागत वित्त, म.प्र., भोपाल'' के नाम से ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से छमाही अन्तराल पर संचालक, संस्थागत वित्त को संलग्न प्रपत्र के साथ भेजी जायेगी ।

जिला स्तर पर ब्रिस्क के एकाउन्ट का संचालन कलेक्टर या उनके द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी करेगा । प्रोत्साहन राशि का वितरण/ भुगतान बैंक चेक के माध्यम से कलेक्टर या नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

प्रथम प्रयोजनः प्रोत्साहन राशिः गणना एवं भुगतान

7. राजस्व अधिकारियों को उनके द्वारा वसूल की गई बकाया बैंक राशियों (जो कि लंबित आर.आर.सी. की वसूली की राशि से नापी जाएगी) का अनुपात का एक प्रतिशत के हिसाब से प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, बशर्ते वसूली की निर्धारित न्यूनतम सीमा रूपये पचास हजार पार की गई हो । प्रोत्साहन राशि संपूर्ण वसूली की गई पात्र राशि के आधार पर देय होगी, न केवल रूपए पचास हजार से अधिक वसूल की गई राशि पर । प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

दूसरा प्रयोजनः वसूली साधनों में सुधार

8. योजना के अंतर्गत दूसरा प्रयोजन (अर्थात जिला, अनुविभाग तथा तहसील स्तर पर वसूली के साधनों का सुधार) है । इस प्रयोजन का प्रावधान इसलिये किया गया है क्योंकि क्षेत्र में कार्यरत राजस्व अधिकारियों के वसूली प्रयास मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अवरूद्ध होते है । अतः इस प्रयोजन का उद्धेश्य इन सुविधाओं को सुदृढ़ करने का है, जिससे कि वसूली प्रयासों में गति आ सके ।

9. **पात्रता हेतु सांकेतिक आवंटनः**- प्रत्येक तहसील के लिये योजनांतर्गत पात्रता हेतु सांकेतिक आवंटन का निर्धारण किया गया है, जिसके आधार पर वसूली साधन के सुधार हेतु प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे । सांकेतिक आवंटन का मापदण्ड निर्धारण का सिद्धान्त है कि वे वसूली प्रयासों पर निर्भर हो तथा पूर्णतः पारदर्शी हो । किसी तहसील विशेष के लिये यह मापदण्ड होगा कि उस **तहसील में राजस्व अधिकारियों द्वारा ब्रिस्क योजना के अंतर्गत किये गये कुल पात्र बेंक वसूली का 1% हिस्सा राजस्व वसूली अमले के वसूली साधनों के सुधार एवं सशक्तिकरण में उपयोग किया जा सकेगा** । इस 1% की गणना उपरोक्तानुसार पैरा 7 के भांति अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र 9 में भेजी जाने वाली जानकारी के आधार पर होगी।

10. **स्वीकृति प्रक्रियाः**- स्वीकृति प्रक्रिया तथा वसूली साधनों की परिभाषा निर्धारित करने का उद्धेश्य है कि योजना क्रियान्वयन में यथासंभव सरल

रहे, तथा क्षेत्रों में कार्यरत वरिष्ठ राजस्व अधिकारी के स्वविवेक, तथा उनके क्षेत्र की वस्तुस्थिति का श्रेष्ठ आंकलन करने की क्षमता पर भरोसा किया जावे । इन मार्गदर्शी निर्देशों के अंतर्गत प्रस्तावों की तैयारी का दायित्व **अनुविभागीय अधिकारियों** का अपने अधीनस्थ तहसीलों के लिये होगा । प्रस्ताव सांकेतिक आवंटन की सीमा तक तैयार किया जाकर कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा । **कलेक्टर** द्वारा जिले के सभी अनुविभागों से प्राप्त प्रस्तावों को एकीकृत करके, उनकी आपस में प्राथमिकतायें निर्धारित कर स्वीकृति दी जायेगी ।

11. स्वीकृति पश्चात् कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा, चैक के माध्यम से राशि अनुविभागीय अधिकारी को वितरण किया जावेगा । राशि का वितरण खाते में उपलब्ध बैलेन्स को ध्यान में रखते हुये पूर्व निर्धारित प्रस्तावों की प्राथमिकताओं के अनुसार होगा। चैक प्राप्त होने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक क्रय करने की व्यवस्था की जावेगी, तथा रसीदें वापस कलेक्टर को **अभिलेख हेतु** भेजी जावेगी ।

12. **अभिलेख एवं लेखा परीक्षण:**- उपरोक्त सभी संव्यवहारों के पूर्ण अभिलेख कलेक्टरेट में संधारित किये जावेंगे । यह आवश्यक होगा कि प्राप्त स्वीकृतियाँ, चैक द्वारा गये भुगतान, तथा राशि उपयोग होने की रसीदें अभिलेख में सम्मिलित हो । समय-समय पर अभिलेखों का लेखा परीक्षण संचालक, स्थानीय निधि आडिट द्वारा किया जावेगा।

13. **''वसूली साधन'' की परिभाषा तथा मापदण्ड:**- ब्रिस्क योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से ऐसे सभी वस्तु प्राप्त किये जा सकेंगे जो कि राजस्व वसूली अमले के सशक्तिकरण के लक्ष्य से सुसंगत हो, तथा जिनका वसूली प्रयासों में योगदान देने का औचित्य हो । (**उदाहरणार्थ: उपकरण/सामग्री, फर्नीचर, स्टेशनरी एवं अन्य पूर्तियाँ, परिवहन, वाहन, प्रोसेस तामिली हेतु आकस्मिक नियोजन आदि**) प्रत्येक वस्तु विशेष के प्रस्ताव का संक्षिप्त औचित्य अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्ताव में दर्शाया जाना आवश्यक होगा । चूँकि वसूली का कार्य अधिकांशत: तहसील और अनुविभाग स्तर पर होता है, तथा कलेक्टरेट की तुलना में तहसील और अनुविभाग स्तर में साधनों का अधिक अभाव होता है, इसलिये प्रस्ताव तैयार करने में तहसील एवं अनुविभाग स्तर की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । जिला स्तर पर केवल ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जावे जिससे कि कलेक्टर को प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूली कार्य को प्रोत्साहित करने में सहायता प्राप्त हो ।

14. यह मार्गदर्शी निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे । यह टीप करें कि 1 अप्रेल, 1995 के पश्चात अधिनियम के अंतर्गत वसूल की गयी समस्त बकाया राशि पर यह प्रोत्साहन योजना लागू है ।

15. कृपया आपके क्षेत्राधिकार में कार्यरत समस्त राजस्व अधिकारियों को मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 के उद्धेश्यों की पूर्ति के लिये ब्रिस्क प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जारी इन मार्गदर्शी निर्देशों की विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें । आपकी सुविधा के लिये प्रत्येक राजस्व अधिकारी के लिये पृथक से इन निर्देशों की मुद्रित प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न हैं । यदि क्रियान्वयन की प्रक्रिया बाबद किसी प्रकार का स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो इस संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। कृपया की गई कार्रवाई से इस संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः- (1) प्रक्रिया - मानचित्र
(2) बैंकों की सूची
(पैरा 3 अनुसार)
(3) राज्य ब्रिस्क खाते के लिये प्रपत्र (पैरा 6 अनुसार)

(राजन कटोच)
आयुक्त,
संस्थागत वित्त, म.प्र.
भोपाल,

पृ.क्र.संविसं/96/

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (संस्थागत वित्त) भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल ।
3. कमिश्नर, ... संभाग ..... को सूचनार्थ ।
4. समस्त राजस्व अधिकारी, मध्यप्रदेश (द्वारा जिला कलेक्टर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(राजन कटोच)
आयुक्त,
संस्थागत वित्त, म.प्र.

परिशिष्ट

बैंकों की सूची (पेरा 3 के अनुसार)

(1) कारपोरेशन बैंक
(2) स्टेट बैंक आफ इंदौर
(3) यूनियन बैंक आफ इंडिया
(4) बैंक आफ इंडिया
(5) पंजाब नेशनल बैंक
(6) देना बैंक
(7) बैंक आफ बडौदा
(8) विजया बैंक
(9) इलाहाबाद बैंक
(10) स्टेट बैंक आफ त्रवणकोर
(11) स्टेट बैंक आफ इंडिया
(12) सिंडीकेट बैंक
(13) सेन्ट्ल बैंक आफ इंडिया
(14) बैंक आफ महाराष्ट्
(15) केनरा बैंक
(16) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स

प्रक्रिया - मानचित्र

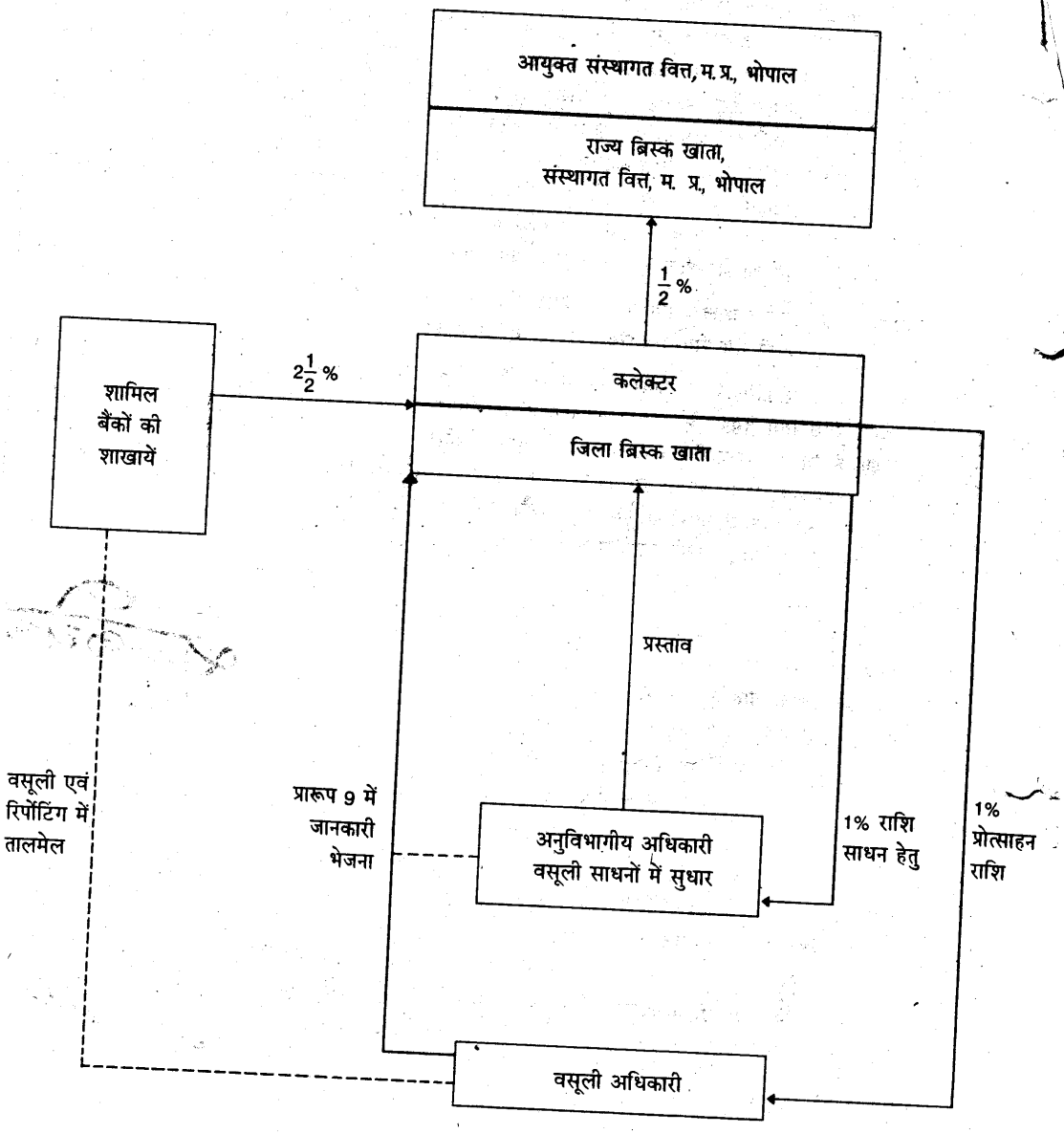
आयुक्त संस्थागत वित्त, म.प्र., भोपाल
राज्य ब्रिस्क खाता,
संस्थागत वित्त, म. प्र., भोपाल
1/2 %
शामिल
बैंकों की
शाखायें
2 1/2 %
कलेक्टर
जिला ब्रिस्क खाता
प्रस्ताव
वसूली एवं
रिपोर्टिंग में
तालमेल
प्रारूप 9 में
जानकारी
भेजना
अनुविभागीय अधिकारी
वसूली साधनों में सुधार
1% राशि
साधन हेतु
1%
प्रोत्साहन
राशि
वसूली अधिकारी

राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ को जानकारी भेजने बाबत/

बैंक का नाम (शाखा-वार)	माह में ब्रिस्क योजना अंतर्गत वसूली राशि